स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार)
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025

निविदा सूचना

दिनांक: 27 फरवरी 2019

संलग्नक I में बताई गई नमूनन प्रक्रिया और निबंधनों व शर्तों के अनुसार, निर्यातकों द्वारा मसालों व मसाला उत्पादों के निर्यात हेतु मसालों के नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग के पर्यवेक्षण केलिए **आई एस ओ/आई ई सी 17025 या आई एस ओ 9001 गुणवत्ता प्रमाणन धारक मान्यताप्राप्त** सर्वेक्षकों से प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएँ संलग्नक II में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अनुबंध II में दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक क्षेत्र केलिए अलग निविदाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्षेत्रों की सूची संलग्नक I, पैरा.16 में दी गई है।

" **मसालों व मसाला उत्पाद** परेषणों का नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग का पर्यवेक्षण चलाने केलिए निविदा " उपरिलिखित, मोहरबंद लिफाफा सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर लिए, एरणाकुलम में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1000/-रु.(अप्रतिदेय) के निविदा-शुल्क के साथ 15 मार्च 2019 को 3.00 बजे तक या उसके पूर्व निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पी.बी.नं.2277, पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025 को भेज दिया जाना चाहिए।

कार्य के निबंधन व शर्तें और निर्धारित आवेदन-प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग का पर्यवेक्षण चलाने केलिए अपेक्षित अवसंरचना, गुणवत्ता प्रमाणन और योग्यता प्राप्त कार्मिक वाले फ़र्मों पर ही विचार किया जाएगा।

स्पाइसेस बोर्ड, बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/निरस्त करने या निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है। निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदाएँ 18 मार्च 2019 को सुबह 11.00 बजे खोली जाएंगी।

निदेशक (विपणन)

संलग्नक -I

मसालों व मसाले उत्पादों का नमूनन/कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण की कार्यविधि,निबंधन और शर्तें

1. निर्यातक, जिन मदों का नमूनन किया जाना है, उनका विवरण सहित निर्धारित सूचना ऑन-लाइन निर्यात समर्थन प्रणाली [ई एस एस-एक्सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम] द्वारा भेजेगा। संप्रति मिर्च एवं उससे संबद्ध उत्पाद करी पाउडर, मसाले, अचार, करी पेस्ट आदि, हल्दी पाउडर, मिसरी लेपित बड़ी सौंफ बीज, जायफल व जायफल उत्पाद, अदरक, करी पत्ता, हल्दी, जावित्री(मेस), इलायची, (काली)कालीमिर्च, मेथी और जीरा एफ़्लाटोक्सिन, सुड़ान I-IV डाई, नाशकजीवनाशी अवशेष, सनसेट येलो जैसे रासायनिक पैरामीटरों तथा अन्य बीज/बाहरी पदार्थ जैसे भौतिक पैरामीटरों की अनिवार्य जांचवाली मदें हैं। सूक्ष्मजीवविज्ञान में यू एस ए को निर्यात किए जाने वाले मिर्च व मिर्च उत्पाद, जीरा साबुत/पीसा और पेस्ट सहित मसालों के सभी मिश्रित रूपों के परेषण में उनका अनिवार्य नमूनन और सालमोनेला की जांच शामिल की गई है।
2. निर्यातकों से ऑन-लाइन सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड नमूनन/स्टफ़िंग कार्य केलिए (ई एस एस) ऑन-लाइन के ज़रिए प्राधिकृत एजेंसियों को नमूनन/स्टफ़िंग कार्य सौंप देगा।
3. ऑन-लाइन सूचना के आधार पर, सौंपे गए कार्य को स्वीकार करना पड़ता है और उसको स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले नमूनन प्रतिमानकों के अनुसार भौतिक रूप से नमूनों को निकालते हुए निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर सर्वेक्षकों द्वारा चलाया जाना चाहिए। नमूनन या कंटेनर स्टफिंग केलिए सौंपे गए कार्य में लगने के पहले प्राधिकृत नमूनन- व्यक्ति को निर्यातकों के साथ नमूनन/स्टफिंग स्थान व समय की पुष्टि करनी होगी ताकि बेकार दौरे से बच जाएँ। प्राधिकृत एजेंसी बेकार दौरों केलिए दावा नहीं कर सकती।
4. विनिर्दिष्ट विश्लेषणात्मक चार्ज, **रेखित डिमांड ड्राफ्ट /इ-भुगतान** के ज़रिए संबंधित निर्यातक से अपेक्षित मसाला-विश्लेषण के सत्यापन पर संगृहीत किया जाना है। डिमांड ड्राफ्ट के मामले में, उसको बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालयों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और इ-भुगतान के मामले में यू टी आर संख्या, भुगतान की तिथि और रकम के बारे में कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। ई यू नमूनन विनियम ई सी सं.401/2006 या आई एस ओ 948:1980 या यू एस एफ डी ए बी ए एम अध्याय 1 के अनुसार सर्वेक्षक/कों द्वारा नमूनन कार्य चलाया जाना है। नमूनन एजेंसी द्वारा नमूनन के औज़ार जैसे कि स्मार्ट फोन, स्कूप, स्माल बैलन्स, चाकू, प्लास्टिक शीट, टैग, स्टेराइल बैग, थ्रेड आदि और ग्लाउस, सेफ़्टी शू, गोगिल्स, मैस्क आदि वैयक्तिक संरक्षात्मक उपकरण सर्वेक्षकों को उपलब्ध कराया जाना है। नमूनन एजेंसी को, सौंपे गए कार्य के नमूनन कार्य को ऑन-लाइन निर्यात समर्थन प्रणाली (ई एस एस) में/मोबाइल एप का इस्तेमाल करते हुए अद्यतन बनाया जाना है और एजेंसी द्वारा निकाले गए नमूनों के साथ बोर्ड के संबंधित कार्यालय के नमूनन प्राप्ति डेस्क(एस आर डी) को उसका प्रिंट आउट प्रस्तुत करना है। सभी सर्वेक्षकों केलिए यह ज़रूरी है कि वे ड्यूटी करते समय अपना पहचान कार्ड पहनें। प्रणाली का सही मानीटरिंग केलिए दैनिक आधार पर ई एस एस में उपलब्ध विकल्प में नमूनन व स्टफ़िंग की प्रक्रिया के फ़ोटो अपलोड किए जाने चाहिए। प्लास्टिक के बदले जैव-अवकर्षित पैकिंग सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा।
5. विवरण के साथ भुगतान संबंधी लिखत की रास्ते में खराबी यदि कोई हो, तो उससे बचाने केलिए अलग लिफाफे में भेजा जाना चाहिए। नमूने को अविकल और अपूतिक भेजने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे निकाला गया हो, नमूना उसी दिन नहीं तो, अगले दिन सुबह 10.00 बजे तक स्पाइसेस बोर्ड के नामित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/नमूना प्राप्ति डेस्क (एस आर डी) को सूचनार्थ प्रति के साथ, दो प्रतियों में, नमूनन रिपोर्ट सहित सर्वेक्षण के मुद्रित मोहरबंद लिफाफे में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
6. सालमोनेला-विश्लेषण के नमूने सर्वेक्षक के मुद्रित लिफाफे में डालने के पहले विसंक्रमित नमूना बैगों में पैक किए जाएंगे, जो अपूतिक और मुहरबंद हो।
7. नमूनन के बाद, प्राधिकृत एजेंसी को परेषण की रिपोर्ट/टैग के वितरण के साथ निर्यात केलिए नमूनित परेषण के लॉट को ढ़ेर लगाकर मुद्रित करना है। एजेंसी को निर्यात परेषण के स्टफिंग के दौरान यह

सुनिश्चित करना है कि ढेर और मोहर बरकरार हो। लॉट ढेर लगाकर मुद्रित करनेवाला फ़ोटो, मेइल या वाट्सअप द्वारा नामित एस आर डी/संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. विभिन्न क्षेत्रों से प्रति माह प्राप्त होने वाले नमूनों की संख्या लगभग निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	नमूनों की संख्या (लगभग)
1	केरल और कर्नाटक (सहित)	700
2	तमिलनाडु और पांडिचेरी (सहित)	2000
3	महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश और गोआ (सहित)	1015
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	300
5	पश्चिम बंगाल, ओड़ीषा और उत्तर पूर्व (सहित)	300
6	गुजरात और राजस्थान(सहित)	400
7	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर(सहित)	50

नोट: ऊपर सूचित नमूनों की संख्या में प्रति महीना बदलाव हो सकता है।

9. दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के विनिर्दिष्ट राष्ट्रों को साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में, महासागर कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रक जैसा`कि मामला हो, में लदान के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी "नमूना निकाला प्रमाणपत्र" जारी करते हुए नमूना निकाला जा सकता है। इस मामले में अलग से कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण अपेक्षित नहीं, चूंकि ऐसे मामलों में नमूना कंटेनर / ट्रकों में लदान के दौरान निकाला जाता है।

10. प्रयोगशाला से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नमूना प्राप्ति डेस्क ई एस एस में विश्लेषण का परिणाम (अनुमत/अननुमत) अद्यतन बनाएगा। अनुमत परिणाम के आधार पर, निर्यातक ऑन-लाइन के माध्यम से सर्वेक्षकों को कंटेनर स्टफिंग केलिए अनुदेश भेजेगा, जिसको नामित एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाना होगा। स्टफिंग पर्यवेक्षण केलिए जाने से पहले सर्वेक्षक को बोर्ड से असली विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संगृहीत करनी है। स्टफिंग के वस्तुगत पर्यवेक्षण के उपरांत, कंटेनर संख्या, सीमाशुल्क मोहर संख्या व स्टफिंग की तारीख आदि का उल्लेख करते हुए निर्यातक को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हस्तांतरित की जानी चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में स्टफ़िंग रिपोर्ट की प्रति, स्टफ़िंग पर्यवेक्षण के अगले दिनों में बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है।

11. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्यात केलिए जारी की गई " अनुमत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट " के आधार पर ही अनिवार्य मसाला मदों (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को साबुत मिर्च को छोड़कर) का कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण किया जाएगा। बोर्ड की प्रयोगशाला से अनुमत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त न होने पर जीरा बीज के निर्यात केलिए निर्यातक को अनुमति दी जाती है, बशर्तेकि निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने आधिकारिक पत्रशीर्ष में वचनपत्र की प्रस्तुति हो।

12. कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रक, जो भी हो, में स्टफिंग पूरा होने पर सर्वेक्षक द्वारा उसी दिन निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाइन के ज़रिए (ई एस एस) स्पाइसेस बोर्ड को स्टफिंग पर्यवेक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी।

13. स्टेशनों में स्थित नामित प्रयोगशाला / स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालय को नमूना भेजने केलिए असली कोरियर बिल से समर्थित कोरियर चार्ज का भुगतान संबंधित अधिकारी की सिफ़ारिश के अनुसार किया जाएगा। जैसे लागू हो, सेवा-कर का भुगतान अलग से किया जाएगा।

14. बोर्ड के संबंधित कार्यालय से 50 कि.मी. के परे पार की गई दूरी केलिए वास्तविक आधार पर या बोर्ड

द्वारा तय की गई दर में परिवहन-चार्ज का अलग से भुगतान किया जाएगा। एजेंसी मासिक तौर पर स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को पर्चियाँ प्रस्तुत करेगी। पर्चियाँ / बीजक दो फॉर्मेट में होंगे, नामत: क) नमूनन/स्टफिंग दर और लागू सेवा-कर सहित, ख) परिवहन व कोरियर चार्ज डेबिट नोट में। भुगतान करते समय नमूनन व स्टफिंग चार्ज पर लागू टी डी एस की कटौती बोर्ड द्वारा की जाएगी।

15. किसी खास बीजक के, प्रति निर्यातक प्रति गंतव्य 25 मीटरी टन या उससे कम एक ही मसाला उत्पाद को "लॉट" कहा जाता है। उसी परेषण का प्रत्येक अतिरिक्त 25 एम टी नमूना श्रेणी आधार पर अतिरिक्त लॉट माना जाएगा। अगर एक ही मसाला उत्पाद के मिश्रित नमूने लिए जाते हैं, उसको केवल एक नमूना ही माना जाएगा। जिस नमूने की तीन सेट लेनी पड़ती हैं, उनमें से दो सेट स्पाइसेस बोर्ड को और एक सेट संबंधित निर्यातक को भेजना जरूरी है।

16. कोट की गई दर दो वर्ष की अवधि केलिए वैध रहेगी। एक क्षेत्र केलिए चुनी गई एजेंसी को दो सालों केलिए वैध सुरक्षा जमा के रूप में नीचे दिखाई गई राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**स्पाइसेस बोर्ड प्रयोगशालाएं**	**बैंक गारंटी राशि** *
1	केरल व कर्नाटक (सहित)	गु.मू.प्र. कोच्ची / गु.मू.प्र. तूतिकोरिन	3 लाख
2	तमिल नाडु व पॉण्डिचेरी (सहित)	गु.मू.प्र. चेन्नई / गु.मू.प्र. तूतिकोरिन	3 लाख
3	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा (सहित)	गु.मू.प्र. मुंबई	3 लाख
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	गु.मू.प्र. गुंटूर	2 लाख
5	पश्चिम बंगाल, ओड़ीषा और उत्तर पूर्व (सहित)	गु.मू.प्र. कोलकोत्ता	2 लाख
6	गुजरात और राजस्थान (सहित)	गु.मू.प्र. काण्डला	2 लाख
7	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर (सहित)	गु.मू.प्र. नरेला	1 लाख

* **पिछले वर्ष के दौरान लिए गए नमूनों की संख्या के आधार पर यह राशि निर्धारित है।**

17. स्टफिंग लॉट के अनुसार होगा। स्टफिंग के पर्यवेक्षण के मामले में, यदि एक ही कंटेनर(एल सी एल) में एक से अधिक निर्यातक का परेषण होता है तो केवल एक स्टफिंग के पर्यवेक्षण शुल्क केलिए ही हकदार होंगे। उसी प्रकार, एक ही निर्यातक के विभिन्न तारीखों में नमूनन किए गए परेषणों को एक ही कंटेनर में स्टफिंग की है तो उसे एक ही लॉट के रूप में माना जाएगा। स्टफिंग- रिपोर्ट ऑनलाइन (ईएसएस)के ज़रिए स्पाइसेस बोर्ड के संबन्धित प्रादेशिक कार्यालय को भेज दी जाएगी।

18.काम सौंपने से पहले बोर्ड द्वारा सर्वेक्षकों की अवसंरचना सुविधाओं और मानवशक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।

19.स्पाइसेस बोर्ड समय समय पर, अपने विवेक के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप किसी भी जगह पर एक या एक से अधिक नमूनन एजेंसी को लगा सकता है या बिना कोई नोटिस दिए किसी भी समय पर किसी भी नमूनन एजेंसी की सेवाएं बंद करने का निर्णय ले सकता है।

20. निर्यातक समर्थन प्रणाली (ईएसएस), एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली, को नमूनन और स्टफिंग के पर्यवेक्षण केलिए कार्यान्वित किया गया है। किसी भी प्रकार से सिस्टम के खराब होने पर, ऑफ-लाइन प्रचालन पर विचार किया जाएगा, लेकिन बाद में ऑनलाइन में अद्यतन किया जाएगा।

21. क्षेत्र स्टाफ को नमूनन और स्टफिंग के काम सौंपने से पहले प्राधिकृत एजेंसी द्वारा बोर्ड को सत्यापन केलिए उनके नाम, फोटोग्राफ, योग्यता के प्रमाण में प्रमाणपत्र और आई डी कार्ड(आधार/मतदाता आई डी)

की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। एजेंसी नमूनन/ स्टफिंग के पर्यवेक्षण केलिए क्षेत्र स्टाफ को पहचान भी जारी करेगी । एजेंसी द्वारा बोर्ड के संबन्धित कार्यालय से नमूनन/ स्टफिंग केलिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र एकत्रित किया जाएगा। नमूनन/ स्टफिंग के पर्यवेक्षण केलिए लगाए जानेवाले क्षेत्र स्टाफ को पहचान पत्र और प्राधिकार पत्र को अपने पास रखने होंगे।

22. नमूनन/स्टफिंग एजेंसियों द्वारा अपने क्षेत्र स्टाफ को संबन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। नमूनन एजेंसियों द्वारा किसी प्रकार के श्रम नियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन केलिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पर्यवेक्षक नमूनन/ स्टफिंग केलिए किसी नए क्षेत्र स्टाफ को नियुक्त करता है तो एजेंसी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए और पैरा- 21 में बताई गई अपेक्षाओं के अलावा, उनको मास्टर प्रशिक्षु के जरिए या स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वैसे, क्षेत्र स्टाफ को बार बार बदलना स्पाइसेस बोर्ड के हित के खिलाफ है और पर्यवेक्षक द्वारा जहां तक हो सके, इससे बचा रहना है।

23. इसके अलावा, एजेंसी द्वारा इस कार्य में लगे हुए सभी सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों)और पर्यवेक्षकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । प्राधिकृत नमूनन एजेंसी को क्षेत्र पर्यवेक्षकों केलिए लिए गए बीमा कवरेज के प्रकार का विवरण देना होगा।

24. सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों)और पर्यवेक्षकों को ऑनलाइन/इ-मेइल और मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए नमूनन व स्टफिंग रिपोर्टों को अद्यतन करने तथा ऑनलाइन से ही प्रयोगशाला रिपोर्टों व दस्तावेज़ों को प्रदान करने का ज्ञान व कौशल होना चाहिए । एजेंसी को स्पाइसेस बोर्ड, निर्यातकों और सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों)/पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट करने केलिए पर्याप्त आई टी अवसंरचना और सुविधाएं होनी चाहिए।

25. बोर्ड वेबसाइट से प्रक्रियाओं के फोटो/वीडियो सहित ज़रूरी सूचनाओं के ऑनलाइन अद्यतन केलिए नमूनन/ स्टफिंग हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास कर रहा है। मोबाइल एप्लिकेशन तैयार होने पर नमूनन/स्टफिंग पर्यवेक्षण केलिए नियुक्त फील्ड स्टाफ को बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुसार प्रक्रिया की जानकारी लेने केलिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग करना होगा ।

26. फील्ड स्टाफ की योग्यता विज्ञान में प्लस टू/ हायर सेकेंडरी में, कम से कम उत्तीर्ण होना है।

27. एजेंसियों को आई एस ओ/आई ई सी 17025 या आई एस ओ 9001 गुणवत्ता प्रमाणन सहित प्रमाणित होना है।

28. ठेके की अवधि निष्पादन के आधार पर कम से कम 2 वर्ष है।

29. दरों को अनुबंध-II में दिये फॉर्मेट के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र केलिए, अलग अलग कोट किया जाना चाहिए।

30. बोर्ड नमूनन के निर्धारित तरीके में फ़र्म के तजरुबे के प्रमाणन के दस्तावेज़ों से रहित निविदाओं का तिरस्कार करने का अधिकार रखता है।

31. निविदा से संबन्धित किसी भी स्पष्टीकरण केलिए निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची, फोन नं.-0484-2333610 एक्सटेंशन 234/233/342, 2333607, इ-मेइल: sureshkumar.pm@nic.in से संपर्क करें।

<u>संलग्नक- II</u>

<u>मसालों के निर्यात परेषणों का नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग का पर्यवेक्षण चलाने केलिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र</u>

जिस क्षेत्र केलिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है:

1	संगठन का नाम और पता टेलीफोन नं.: फैक्स नं.: इ-मेइल: संपर्क व्यक्ति का नाम :				
2	शाखा कार्यालयों का नाम और पता टेलीफोन नं.: फैक्स नं.: इ-मेइल: संपर्क व्यक्ति का नाम :				
3	फर्म का स्थापना-वर्ष				
4	क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है? अगर है तो उसका विवरण और चलाई गई जाँच				
5	क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला प्रत्यायित है, अगर है तो, प्रमाणपत्र का प्रमाण				
6	क्या एजेंसी को गुणवत्ता प्रमाणन अधिमानत: आईएसओ 9001 या आईएसओ / आईईसी 17025 प्राप्त हैं? यदि हाँ तो कृपया प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें				
7	प्रत्येक केंद्र के योग्यता-प्राप्त सर्वेक्षकों की संख्या				
8	फील्ड स्टाफ की योग्यता और फील्ड में उनके सेवा-अनुभव	संख्या योग्यता फील्ड में सेवा के वर्ष			
9	आई टी अवसंरचना, फील्ड स्टाफ को प्रदान की गई यात्रा-सुविधा आदि (स्थान वार)				
10	नमूनन कार्य में अनुभव क) ई यू नमूनन ई सी नं.401/2006 ख) आई एस ओ 948:1980 ग) यू एस एफ डी ए बी ए एन अध्याय 1 उन ग्राहकों की सूची जिनके लिए आपने सर्वेक्षकों के रूप में काम किया है।				
	जिन निविदाओं का समर्थन नमूनन की विनिर्दिष्ट विधि में फर्म के अनुभव को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों से नहीं हुआ हैं, उनका निरसन करने का अधिकार बोर्ड को है।				
11	सर्वेक्षक लाइसेन्स का विवरण(यदि उपलब्ध है, तो)				
12	सर्वेक्षकों के लिए ली गई बीमा का प्रकार व टाइप				
13 क	आईएसओ 948:1980 नमूनन/भराई अधिवीक्षण की दरें	प्रथम नमूनन	अतिरिक्त नमूनन	प्रथम स्टफिंग	अतिरिक्त स्टफिंग

	i) 50 कि.मी.की शहर सीमा के अंतर्गत ii) 50 कि.मी. की शहर सीमा के ऊपर	(रु.)	(रु)	(रु.)	(रु.)
13 ख	ई यू विनियम ई सी 401/2006 के अनुसार नमूनन की दरें i) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के अंतर्गत ii) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के ऊपर	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु)		
13 ग	यूएसएफडीए बीएएम अध्याय 1 नमूनन विधि के अनुसार नमूनन की दर i) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के अंतर्गत ii) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के ऊपर	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु)		
	*बोर्ड के नामोद्दिष्ट कार्यालयों को नमूनों की सुपुर्दगी (सीधे/कोरियर) केलिए नमूनन चार्ज प्रति लॉट कोट की जानी चाहिए। चार्ज में नमूनों के लिए अपेक्षित संलग्नक I की पैरा.5 में बताई गई सारी मदें शामिल होंगी। सेवा-शुल्क का भुगतान अलग से किया जाएगा। कोरियर की पर्ची की प्रस्तुति पर कोरियर-चार्ज का भुगतान भी किया जाएगा।				

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry, Govt of India),
Palarivattom P.O, Kochi - 682 025

TENDER NOTICE

Date: 27th February 2019

Competitive tenders are invited **from the reputed surveyors with ISO/IEC 17025 or ISO 9001 Quality Certification** for sampling and container stuffing supervision of spices and spice products for exports by the Exporters, as per the sampling procedure and terms & conditions given in Annexure I. The quotation shall be submitted in the format given in Annexure II. Tenders shall be submitted for each region separately in the Format given in Annexure II. The regions are listed in the Annexure I, Para.16.

The sealed cover superscribed as "Tender for undertaking sampling of **spices and spice products** consignment and supervision of container stuffing" shall be sent to the Director(Marketing), Spices Board, Sugandha Bhawan, P.B.No.2277, Palarivattom P.O., Kochi-682 025 on or before 15th March 2019 latest by 3 p.m along with tender fee of Rs.1000/- (non refundable) and EMD of Rs.5000/- [Refundable] in the form of DD favouring Secretary, Spices Board payable at Ernakulam.

The terms and conditions of the work involved and the prescribed application form can be downloaded from the website of the Board www.indianspices.com. Only those firms with required infrastructure, quality certifications and qualified personnel for undertaking sampling and supervision of container stuffing will be considered.

The Spices Board reserves the right to accept/ reject any proposal or cancel the tender notice without assigning any reasons thereof. Quotation will be opened on 18th March 2019 at 3 pm. in the presence of Tenderers or their authorised representatives.

DIRECTOR(MARKETING)

ANNEXURE-I

PROCEDURES, TERMS AND CONDITIONS OF SAMPLING/CONTAINER STUFFING SUPERVISION OF SPICES & SPICE PRODUCTS

1. The exporter will send the prescribed intimation by online Export Suport System (ESS) to the Spices Board with the details of items to be sampled. Presently chilli and its allied products, curry powder, masalas, pickles, curry paste, etc., turmeric powder, sugar coated fennel seeds, nutmeg & nutmeg products, ginger, curry leaves, turmeric, mace, cardamom, black pepper, fenugreek and cumin are the items having mandatory testing for chemical parameters such as aflatoxin Sudan I-IV dyes,pesticide residues, sunset yellow and physical parameters such as other seeds/extraneous matters. In the Microbiology stream, the mandatory sampling and testing for Salmonella in the consignment of chilli & chilli products, cumin whole/ground and all mixed forms of spices inclusive of paste exported to USA is included.

2. On receipt of the online intimation from the exporters , the Board will assign the sampling/stuffing work to the authorized Agencies through online [ESS] to carry out the sampling/stuffing work.

3. Based on the online intimation, the assigned work has to be accepted and should be undertaken by the surveyors at the specified place, date and time by physically drawing the samples as per the sampling norms followed by the Spices Board. Before proceeding into the assigned work for sampling or the container stuffing, the authorized sampling person has to confirm the sampling/stuffing place & time with Exporters to avoid any unproductive visit. The authorised agency cannot claim for unproductive visits.

4. The prescribed analytical charges has to be collected on verification of spices analysis required from the exporter concerned by way of **Crossed Demand Draft/ e-payment**. In case of Demand draft, same should be handed over to the concerned Regional Office of the Board and in case of e-payment, the UTR number, date of payment and amount should be intimated to the office along with samples. The sampling work has to be carried out by the surveyor/s as per EU

Sampling Regulation EC No. 401/2006 or ISO 948:1980 or USFDA BAM Chapter 1. The sampling agency has to provide ID cards and the tools for sampling such as smart phones, scoop, small balance, knife, plastic sheets, tags, sterile bags, thread etc and for personal protective equipments such as gloves, safety shoes, goggles, mask etc to the surveyors. The sampling agency has to update the sampling details of the assigned works in the online Export Support System (ESS) and take a print out to submit to Sample Receipt Desk (SRD) of concerned Board's office along with the samples drawn by the agency. It is compulsory for all surveyors to wear their identity cards when they are on duty. Photographs of the sampling and stuffing process should be uploaded in the option available in the ESS on daily basis for proper monitoring of the system. Bio-degradable packing materials will be used for collecting samples instead of plastics.

5. The instrument of payment with its details should be sent in separate cover to prevent spoilage, if any, in transit. Care should be taken to send the sample intact and aseptically. Sample as drawn should be forwarded in sealed printed cover of the surveyor along with the sampling report in duplicate along with the copy of the intimation to the designated Sample receipt desk (SRD) of the Spices Board on the same day, if not, next day by 10 am.

6. The samples for Salmonella analysis shall be packed in sterilized sample bags aseptically and sealed before putting it in the printed cover of the surveyor.

7. After sampling the authorised agency has to stack the lot and seal the consignment sampled for export with details of the consignment report/tag to be attached. The agency has to ensure that the stack and seal should be intact while stuffing the export consignment. The photograph showing the stack sealing of the lot should be submitted to the designated Sample receipt desk (SRD) /concerned regional office either by mail or by WhatsApp message.

8. Approximate number of samples per month from different regions are as follows:

SL NO.	REGIONS	NO. OF SAMPLES(approx)
1	Kerala and Karnataka (inclusive)	700
2	Tamil Nadu and Pondicherry(inclusive)	2000
3	Maharashtra, Madhya Pradesh and Goa (inclusive)	1015
4	Andhra Pradesh and Telangana (inclusive)	300
5	West Bengal, Orissa and North East (inclusive)	300
6	Gujarat and Rajasthan (inclusive)	400
7	Delhi, Haryana, Uttarkhand, Uttar Pradesh, Bihar,	50

	Jharkand, Punjab, Jammu & Kashmir (inclusive)	

Note : No. of samples per month indicated above may vary.

9. In the case of export of chilly whole to the specified countries in South East Asian region except Malaysia, the sample can be drawn simultaneously while loading into the ocean container / railway wagon / trucks as the case may be by issuing "Sample Drawn Certificate" issued by the Spices Board. No separate container stuffing supervision is required in this case as the sample is drawn while the consignment is loaded into the container / trucks.

10. On receipt of analytical report from the lab, the sample receipt desk will update the result of the analysis (cleared or not cleared) in ESS. Based on the cleared result, exporter will send instruction for container stuffing to the surveyors through online, which shall be accepted, by the designated agency. The original analytical report has to be collected by the surveyor from the Board before proceeding for the stuffing supervision. After physical supervision of stuffing, the analytical report should be handed over to the exporter by incorporating the details like Container number, Customs Seal No & Date of stuffing etc., therein. The copy of the Stuffing report in the prescribed format has to be submitted to the concerned Regional Office of the Board on next days after stuffing supervision.

11. Container stuffing supervision shall be done on mandatory spice items (except chilli whole to South East Asian countries) only on the basis of 'Cleared Analytical Report' issued by the Spices Board for export. Exporter is permitted to export the cumin seeds without getting the cleared analytical report from Board's lab subject to the production of undertaking in their official letter head as per the prescribed format.

12. On completion of the stuffing into the container / railway wagon/Truck as the case may be the surveyors shall send the stuffing supervision report in the prescribed format by online (ESS) to the Spices Board on the same day.

13. The Board will reimburse the actual amount incurred in respect of Courier Charges if any for sending the samples to the concerned SRD/QEL on a monthly basis. The original courier bills along with the details of the sample sent to the SRD/QEL should be submitted to the concerned Regional office for releasing the amount. The service tax as applicable will be paid extra.

14. The conveyance charge will be paid extra on actual basis by public transport as per the approved

rate of respective state department for the distance covered beyond 50 kms from concerned office of the Board or the rate fixed by the Board, whichever is less. The agency shall submit bills to the concerned Regional Office of the Spices Board on a monthly basis. The bills/ invoices shall be in two formats viz., (a) Sampling/Stuffing rates plus applicable service tax. (b) Conveyance & Courier charges in debit note. While effecting the payment, the Board will deduct the applicable TDS for sampling and stuffing charges .

15. A "lot" is defined as 25 MT or less of the same spice product per exporter per destination of a particular invoice. Every additional 25 MT in the same consignment will be considered as an additional lot based on the sample category basis . If composite samples are taken of similar spice products, the same will be treated as one sample only. Three sets of samples are to be taken of which, two sets need to be sent to the Spices Board and one set to the exporter concerned. .

16. The rate quoted should be valid for a period of two years. The agency selected for a region has to produce Bank Guarantee, for the amount shown below, as security deposit valid for two years.

SL NO.	**Regions**	**Spices Board Laboratories**	**Bank Guarantee amount ***
1	Kerala and Karnataka (inclusive)	QEL Kochi/ QEL Tuticorin	3 Lakh
2	Tamil Nadu and Pondicherry(inclusive)	QEL Chennai/QEL Tuticorin	3 Lakh
3	Maharashtra, Madhya Pradesh and Goa (inclusive)	QEL Mumbai/QEL	3 Lakh
4	Andhra Pradesh and Telangana (inclusive)	QEL Guntur	2 Lakh
5	West Bengal, Orissa and North East (inclusive)	QEL Kolkata	2 Lakh
6	Gujarat and Rajasthan (inclusive)	QEL Kandla	2 Lakh
7	Delhi, Haryana, Uttarkhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkand, Punjab, Jammu & Kashmir (inclusive)	QEL Narela	1 Lakh

** The amount is fixed based on number of samples drawn during the last year.*

17. Stuffing supervision charge will be as per lot. In case of stuffing supervision, if consignment of more than one exporter does occur in same container (LCL), only one each stuffing supervision charges will be entitled. Similarly, consignments of the same exporter sampled on different dates are stuffed in a single container and the same will be treated as one lot only. The stuffing report should be sent to the concerned Regional Office of the Spices Board by online (ESS).

18. The infrastructure facilities and the manpower of the surveyors will be assessed by the Board, before awarding the work.

19. Spices Board, at its discretion will decide from time to time to engage one or more than one Sampling Agency in any place based on the requirements or to discontinue the services of any sampling agency at any time without notice.

20. Export Support System (ESS), an online web enabled system, is implemented for sampling and stuffing supervision. In case of any system failure, off-line operation will be considered but online system will be updated subsequently.

21. Name, photograph, copy of the certificate in proof of qualification and Id card (aadhar card/voter id) of field staff should be submitted to the Board by the authorised agency for verification before assigning them with sampling/stuffing work. Agency shall also issue Identity to the field staff for sampling/stuffing supervision. Authorisation certificate for sampling/staffing shall be collected from the respective Office of the Board by the agency. Field staff assigned with sampling/stuffing supervision shall carry the identity card and authorisation.

22. The sampling/stuffing agencies should ensure the minimum wage prescribed by the respective State Governments, should be given to the field staff. The Board will not be responsible for any violation of labour rules and statutory requirements by the sampling agencies. In case the surveyor engage new field staff for sampling /stuffing, prescribed educational qualification should be ensured by the agency and proper training should be imparted to them either through the Master Trainer or from the Spices Board apart from the requirements mentioned in para 21. However, frequent change of the field staff is against the interest of the Spices Board and the same should be avoided to the extent possible by the surveyor.

23. Also the agency should have insurance cover of all the samplers and supervisors engaged for this activity. The authorized sampling agency has to furnish the type of insurance coverage taken for the field surveyors.

24. The samplers and Inspectors should have knowledge and skills to update the sampling & stuffing reports though online/email and mobile app as well as providing lab reports & documents through online. The Agency should have adequate IT infrastructure and facilities for reporting to the Spices Board, exporters and to the samplers/surveyors.

25. The Board is developing a mobile app for sampling/stuffing supervision for online updation of relevant information along with photo/video of the process from the site. When the mobile application is ready, the field staff entrusted with the sampling/stuffing supervision have to use this app to capture information of the process as per Board's requirements.

26. Qualification of the Field Staff should be minimum pass in Plus two/Higher Secondary in Science.

27. Agencies are to be certified with ISO/IEC 17025 or ISO 9001 Quality Certification.

28. Contract period is minimum for 2 years depending on the performance.

29. Rate should be quoted in the format given as Annexure-II, for each region, separately.

30. The Board reserves the right to reject the quotations which are not supported with documents to prove experience of the firm in the specified method of sampling

31. For any clarification related to the tender, pl contact the Director (Marketing), Spices Board Head Office, Kochi, Phone No.0484 - 2333610 Extn. 234/233, 2333607, *Email:sureshkumar.pm@nic.in*

ANNEXURE-II

Proforma for submission of Quotation for sampling of export consignment of spices and container stuffing supervision

Region for which quotation is submitted :

1	Name and address of the Organisation Telephone No. Fax No. E-mail Name of contact person	
2	Name address of the branch Offices Telephone No. Fax No. E-mail Name of contact person	
3	Year of establishment of the firm	
4	Whether having Quality Control Laboratory, and if so, the details & tests conducted	
5	Whether the Quality Control Laboratory is accredited, and if so, the proof of Certificate	
6	Whether the agency has ISO Quality Certification preferably ISO 9001 or ISO/IEC 17025, if yes, please attach copy of the certificate	
7	Number of qualified surveyors in each centre	
8	The qualification of the field staff and their service experience in the field	No. Qualifications Year of service in the field
9	Details of infrastructure like	

	IT infrastructure, mode of conveyance provided to field staff etc.(Location-wise)				
10	Experience in sampling work a) EU sampling EC No.401/2006 b) ISO 948:1980 c) USFDA BAN chapter 1 List of Clientele for whom you work as surveyors				
	The Boards reserves the right to reject the quotations which are not supported with documents to prove experience of the firm in the specified method of sampling				
11	Details of surveyor License (if available)				
12	Kind or type of insurance coverage taken for the surveyors				
13.a.	Rates for sampling ISO 948:1980 / stuffing supervision	First sampling(Rs.)	Addl. Sampling (Rs.)	First stuffing (Rs.)	Addl. Stuffing(Rs.)
	i) within city limit of 50 KM ii)above city limit of 50 KM				
13.b.	Rates for sampling as per EU regulations EC No. 401/2006	First sampling(Rs.)	Addl. Sampling (Rs.)		
	i) within city limit of 50 KM ii)above city limit of 50 KM				
13.c.	Rate for sampling for *Salmonella* as per USFDA BAM Chapter 1 sampling method	First sampling(Rs.)	Addl. Sampling (Rs.)		
	i) within city limit of 50 KM ii)above city limit of 50 KM				

	* Sampling charges should be quoted per lot for delivery (physical /courier) of samples at the designated Offices of the Board. The charges shall include the cost of all items mentioned in para 5 of Annexure 1 required for sampling. Service tax will be paid extra. Courier charges also will be paid extra against courier bill.

Place Name

Date Designation